



INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature:-  
ACC Name:-Sujeet Kumar  
ACC Code:-UP 142-14104  
ACC Add:-Chimigaon, Varanasi  
Licence No.-146/66/29  
Mobile No.-9838604438  
Dist.-VARANASI

Certificate No. : IN-UP75799059859552U  
Certificate Issued Date : 25-Aug-2022 11:02 AM  
Account Reference : NEWIMPACQ (SV)/up14244104/ VARANASI SADAR/ UP-VNS  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1424410441895810754672U  
Purchased by : YOGENDRA PRATAP SINGH EDUCATIONAL TRUST  
Description of Document : Article 64 (A) Trust - Declaration of  
Property Description : Not Applicable  
Consideration Price (Rs.) :  
First Party : YOGENDRA PRATAP SINGH EDUCATIONAL TRUST  
Second Party : Not Applicable  
Stamp Duty Paid By : YOGENDRA PRATAP SINGH EDUCATIONAL TRUST  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 850  
(Eight Hundred And Fifty only)

सत्यमेव जयते



₹850

IN-UP75799059859552U

Please write or type below this line

E-Stamp Locked

SR-II, Vns.

Yogendra Pratap Singh



JD 0000330951

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SHCIL

353/2-23

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर द्वितीय वाराणसी क्रम संख्या 2022350023652

आवेदन संख्या : 202200996035297

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2022-08-25 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम योगेन्द्र प्रताप सिंह

लेख का प्रकार न्यास पत्र

प्रतिफल की धनराशि 10000 / 0.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 100
2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 80
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुह्तार के अधिप्रमाणीकरण लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविध
7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग

180

शुल्क बसूल करने का दिनांक

2022-08-25 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा

2022-08-25 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर





### ट्रस्ट डीड (न्यास पत्र) घोषणा पत्र

मैं कि योगेन्द्र प्रताप सिंह इस ट्रस्ट का संस्थापक ट्रस्टी हूँ, जो दिनांक 25.08.2022 को अस्तित्व में लाया गया। मैं संस्थापक ट्रस्टी राष्ट्रीय आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रप्रेम, पर्यावरण सुरक्षा, आध्यात्मिक एवं धर्म सुरक्षा, शैक्षिक जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, गरीबों व कमजोर वर्ग के उत्थान एवं अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों का उत्थान करने में विशेष रुचि रखने के कारण इस ट्रस्ट की स्थापना करते हूँ। मैं योगेन्द्र प्रताप सिंह संस्थापक ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी "योगेन्द्र प्रताप सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट" की स्थापना करता हूँ। इस ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन, कार्यप्रणाली, उद्देश्य एवं व्यवस्था निम्न नियमों उपबंधों के अन्तर्गत की जायेगी।  
ट्रस्ट का नाम पता निम्नवत है:-

ट्रस्ट (न्यास) का नाम-

"योगेन्द्र प्रताप सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट" ।

01. ट्रस्ट का पता-

ग्राम गोविन्दपुर, पोस्ट रोहनियाँ, परगना देहात  
अमानत, जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश।

02. मुख्यालय-

पंजीकृत कार्यालय ग्राम औढ़े पोस्ट बच्छाँव, जिला  
वाराणसी उत्तर प्रदेश,

Yogendra Pratap Singh



ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान किये हैं-

1. योगेन्द्र प्रताप सिंह, पुत्र स्व० रमेश चन्द निवासी ग्राम औढ़े पोस्ट बच्छाँव, जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश, (संस्थापक ट्रस्टी / मुख्य ट्रस्टी/ प्रबन्धक) मोबाइल नम्बर- 8318815260
2. श्रीमती मधु सिंह पुत्री अनिल सिंह पत्नी योगेन्द्र प्रताप सिंह निवासिनी ग्राम औढ़े, पोस्ट बच्छाँव, थाना रोहनियाँ, जिला वाराणसी हाल पता ग्राम कोरौती पोस्ट कोरौत लोहता, जिला वाराणसी मोबाइल नम्बर 9369664343 (सदस्य)
3. रीता सिंह पत्नी स्व० रमेश चन्द निवासिनी ग्राम औढ़े, पोस्ट बच्छाँव, जिला वाराणसी (सदस्य)
4. अनुज कुमार सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह निवासी ग्राम कोरौती पोस्ट कोरौत थाना लोहता, जिला वाराणसी मोबाइल नम्बर 8601019833 (सदस्य)

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र-

सम्पूर्ण भारत वर्ष।

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य-

1. यह कि ट्रस्ट भिन्न-भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थायें प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, नर्सिंग संस्थान, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेज अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना।
2. यह कि ग्रामीण अंचल में मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ-साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना।
3. यह कि प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा, नौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था, क्रीड़ा क्लब प्रबन्धन, प्रशिक्षण संस्थान, क्रीड़ा संसाधनों की स्थापना व व्यवस्था करना तथा संचालन करना।
4. यह कि ट्रस्ट भूमि भवन व पूँजी की व्यवस्था कर देश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन, मध्यम व समाज के दबे कुचले लोगों को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को उँचा उठायेगा।

Yogendra Pratap Singh



5. यह कि ट्रस्ट दैवीय आपदा में जिला, राज्य व केन्द्रीय प्रशासन का समय साधना से समय-समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय समन्वय स्थापित कर समाज से सम्बन्धित कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को क्रय-विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज पर देना।
6. यह कि बिना लिंग भेद किये केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्राथमिक पाठशाला, जूनियर, माध्यमिक, स्नातक तथा स्नातकोत्तर विद्यालयों, महाविद्यालयों, बी०एड०, बी०पी०एड०, बी०टी०सी०, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, अनाथालाओं, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्र, पर्यावरण, एड्स, उत्थान केन्द्रों की स्थापना करना।
7. यह कि केन्द्र सरकार के सभी विभागों, मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपाट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण, सलाहकार बोध, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद, युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि विभागों के कार्यक्रमों का संचालन करना।
8. यह कि आई०टी०आई०, आई०आई०टी, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फिजियोथेरेपी आदि मेडिकल कालेज एवं इन्जीनियरिंग कालेज, शिपिंग तकनीकी व अनुरक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण की स्थापना एवं संचालन करना।
9. यह कि देश विदेश से चंदा आदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना। ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थायें खोली जायेगी, उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा।
10. यह कि व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, विधि महाविद्यालयों, इन्जीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं उसको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।

Jejeendra Pruthi Singh



11. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं, व्यक्ति से सहयोग प्राप्त कर सकना तथा प्रदान कर सकना।
12. यह कि आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना।
13. यह कि भारत सरकार के नियमानुसार आर०बी०आई० एवं सेवा के द्वारा जारी गाइडलाइंस (दिशा निर्देशों) के आधार पर सोशल डोनेशन (सामाजिक दान) और रिवाइड बेस पर आधारित जनसहयोग (जन कल्याण कोष) से आर्थिक मदद/सहयोग/चन्दा/दान प्राप्त करना व सामाजिक कार्यों में लगे लोगों का (जन कल्याण कोष) से आर्थिक मदद/सहयोग/ सहायता/ प्रोत्साहन/दान प्रदान करना।
14. यह कि गैर सरकारी संगठन के राजकीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्त कार्यों का सम्पादन करना। किसी समिति द्वारा उसके आग्रह पर उसके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं यथा- आश्रम, अनाथालय, वृद्धा आश्रम, चिकित्सालय, कष्ट आश्रम, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसायिक, तकनीकी, प्राविधिक, चिकित्सालय आदि को ट्रस्ट में बिलीन करना एवं इनको ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना।
15. यह कि जनसंख्या नियंत्रण, एड्स जागरूक एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक कुरीतियों, बुराईयों, अंधविश्वासों के निवारण में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं का समय साधना से सहयोग करना एवं उनका क्रियान्वयन करना। अन्य सार्वजनिक पूर्व (पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना।
16. यह कि कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह उद्योग, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग का उत्थान, भ्रष्टाचार निरोध कानून एवं व्यवस्था का विकास, प्राविधिक शिक्षा आदि एवं चिकित्सा शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, वन आवास एवं शहरी नियोजन, एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, भाषा, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन, पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, गंगा यमुना आदि स्वेच्छीकरण आपदा राहत, पेयजल

Yogendra Pratap Singh



एवं स्वच्छता, सहकारी समितियाँ, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सैनिक कल्याण आदि विभिन्न कार्य करना।

#### ट्रस्ट का कार्यकाल-

ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा, अपने पद पर बना रहेगा। मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु होने के उपरान्त संस्थापक ट्रस्टी की पत्नी/पुत्र/पुत्री क्रमशः जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के पद को धारण करेंगे, इनके न रहने पर संस्थापक ट्रस्टी की वंशावली में से कोई इस पद को धारण करेगा। इसके लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा, मान्य होगा। कई पुत्र या पुत्री होने की दशा में मुख्य ट्रस्टी पद के लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा, वह मान्य होगा।

#### ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता-

“योगेन्द्र प्रताप सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट” पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 के अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत।

#### ट्रस्ट की सदस्यता-

ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 4 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से 10,000/- रुपया सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। यह संस्थापक ट्रस्टी के वंशावली पर लागू नहीं होगा तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है, जिसमें ट्रस्ट के सदस्य सम्मिलित होंगे एवं इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के प्रति हितैषी भाव रखने वाले तथा आवश्यकतानुसार आर्थिक मदद करने वाले व्यक्ति से 10,000/- रुपया सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं, जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा एवं प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी ही होगा तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ही होगा या संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के किसी सदस्य को अंशकालिक प्रबन्धक नियुक्त किया जा सकता है, जिसका

Yogendra Pratap Singh



अधिकतम कार्यकाल पाँच वर्ष होगा। संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी कभी भी नियुक्त प्रबन्धक को कारण बताकर हटा सकता है या बिना कारण बताये भी हटा सकता है।

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य-

मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी-

1. संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।
2. मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये ये निर्णय सर्वमान्य होंगे।
3. संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
4. किसी भी विचारणीय विषय पर समानमत होने पर एक निर्णायक मत देना।
5. आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यावलि करना।
6. ट्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
7. ट्रस्ट (न्यास) वाह्य एवं आन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट (न्यास) के विकास के विभिन्न संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना।
8. मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि भवन का क्रय-विक्रय लीज (पट्टा) करना, किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करना एवं वार्दों के निस्तारण की पैरवी करना।
9. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की चल व अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।
10. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश-विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सहयोग, चंदा, आमजनता किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोसिएशन, किसी अन्य न्यास या कॉर्पोरेट बॉडी इत्यादि से धनराशि बिना शर्त या सशर्त स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना।

Yogendra Pratap Singh



11. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।
12. संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है, यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकार पर लागू नहीं होगा।
13. किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।
14. ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति, असहमति लिखित रूप से प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों, परिनियमों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।
15. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों में निर्धारित शर्तों व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, पदोन्नति एवं पदव्युत करना। न्यास के ऐसे कार्यों को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित न ही किया जा सके न ही चुनौती दी जा सकेगी।
16. ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों आदि के समस्त धनराशियों एवं खातों का संचालन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं के विकास एवं चैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना।

#### सदस्य ट्रस्टी-

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

#### ट्रस्ट (न्यास) के अंग-

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी-

1. साधारण सभा।
2. प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट।

Neelendra Pratap Singh



### साधारण सभा (गठन)-

साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा, परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है, जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी समिलित होंगे। इसके अतिरिक्त 10,000/- रुपया संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं, किन्तु ये सदस्य ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए होंगे एवं इनकी अधिकतम संख्या 9 होगी तथा इनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

### बैठकें-

#### 1. साधारण बैठकें-

ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी। आवश्यक बैठक 24 घंटे पहले निर्धारित सूचना अनुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

#### 2. विशेष बैठक-

दो तिहाई सदस्यों की लिखित माँग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

#### सूचना अवधि-

साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।

### गणपूर्ति-

बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थित होना आवश्यक है। यह गणपूर्ति का कुल सदस्यों की संख्या का  $1/3$  होगी।

### विशेष वार्षिक अधिवेशन-

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार जून माह में होगा।

Yogendra Pratap Singh



ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य-

साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे-

- (अ) वार्षिक आय-व्यय बजट चेक करना।
- (ब) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।
- (स) प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।
- (द) ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय-समय पर उसके कार्यों को करना, जो समिति के हित में हो।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति-

गठन-

साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्न पद होंगे। प्रबन्धक, मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्य। कमेट्री में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा या संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्ध समिति कालातीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

बैठकें-

सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव/संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष-

विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की माँग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

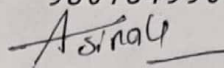
Yogendra Pratap Singh



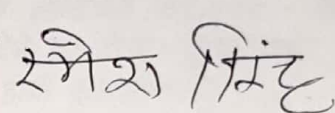
नोट- यह कि मुबलिंग 850/- रुपये का जरिये ई-स्टाम्प  
सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP75799059859552U दिनांक 25.08.2022  
को अदा किया जा रहा है।

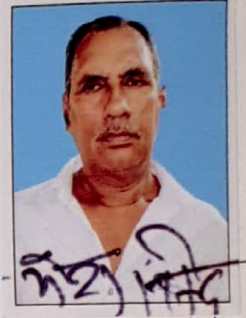
दिनांक- 25.08.2022

साक्षीगण:-

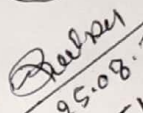
1. पूरा नाम अनिल कुमार सिंह  
पिता का नाम हौसिला प्रसाद सिंह  
पूरा पता ग्राम कोरौती पोस्ट कोरौत  
थाना लोहता, जिला वाराणसी  
पेशा- कृषि  
मोबाइल नम्बर- 9807349909  
हस्ताक्षर- 



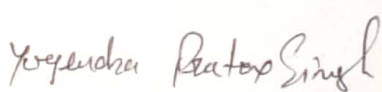
2. पूरा नाम रमेश सिंह  
पिता का नाम स्व० माता प्रसाद सिंह  
पूरा पता ग्राम बेदौली, पोस्ट  
लोहता, जिला वाराणसी।  
पेशा- कृषि  
मोबाइल नम्बर- 8765366600  
हस्ताक्षर- 



मसविदाकर्ता:- विरेन्द्र यादव एडवोकेट  
कलेक्टरी कचहरी, वाराणसी

  
25.08.22  
9451362464

टाईपकर्ता:- विकास कम्प्यूटर्स,  
कलेक्टरी कचहरी, वाराणसी





### सूचना अवधि-

साधारण स्थिति में प्रबन्धक ट्रस्टी समिति, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है। विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का संस्थापक ट्रस्टी/ मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

### गणपूर्ति-

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के सदस्य बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

### रिक्त स्थानों की पूर्ति-

यदि किसी सदस्य के असामायिक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा, जिसमें संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति आवश्यक है। यह प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी को भरने के लिए लागू नहीं होगी। नये सदस्य की स्थायी नियुक्ति संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त 51,000/- रुपये नगद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत होनी आवश्यक है।

### प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य-

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे-

1. बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।
2. ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।
3. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन, निष्कासन, पदोन्नति, विनियमितिकरण का अनुमोदन करना।
4. आय-व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

*Agendra Pratap Singh*



आवेदन सं०: 202200996035297

न्यास पत्र

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 353

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 850 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह,  
पुत्र श्री स्व० रमेश चन्द  
व्यवसाय : अन्य  
निवासी: ग्राम औढ़े पोस्ट बच्छाँव, जिला वाराणसी



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 25/08/2022 एवं 02:23:35 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कमलेश कुमार श्रीवास्तव प्रभारी

उप निबंधक :सदर द्वितीय

वाराणसी

25/08/2022

कमलेश कुमार श्रीवास्तव

निबंधक लिपिक

25/08/2022

प्रिंट करें



### ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-

समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्धन कर सकती है। नियमावली की कटिंग अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा।

### ट्रस्ट (न्यास) के कोष-

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी, के हस्ताक्षर से किया जायेगा, और ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन भी मुख्य ट्रस्टी द्वारा किया जायेगा।

### ट्रस्ट (न्यास) के आय-व्यय का लेखा परीक्षण-

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था का आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

### ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व-

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा, जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित्त नियुक्त कर सकती है।

### ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख-

ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे- सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक संस्थापक मुख्य ट्रस्टी के पास होंगे।

“योगेन्द्र प्रताप सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट” के पास सदस्यता शुल्क के माध्यम से रुपया 10,000/- (दस हजार रुपये) प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध है। इसके अलावा ट्रस्ट के पास अन्य कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है। यह कि

Yogendra Pratap Singh



आवेदन सं०: 202200996035297

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 353

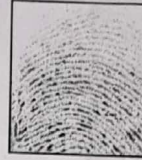
वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त  
न्यासी: 1

श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह, पुत्र श्री स्व० रमेश चन्द

निवासी: ग्राम औढ़े पोस्ट बच्छाँव, जिला वाराणसी

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अनिल कुमार सिंह, पुत्र श्री हौसिला प्रसाद सिंह

निवासी: ग्राम कोरौती पोस्ट कोरौत थाना लोहता, जिला  
वाराणसी

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2



श्री रमेश सिंह, पुत्र श्री स्व० माता प्रसाद सिंह

निवासी: ग्राम बेदौली, पोस्ट लोहता, जिला वाराणसी।

व्यवसाय: कृषि



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कमलेश कुमार श्रीवास्तव प्रभारी

उपनिबंधक : सदर द्वितीय

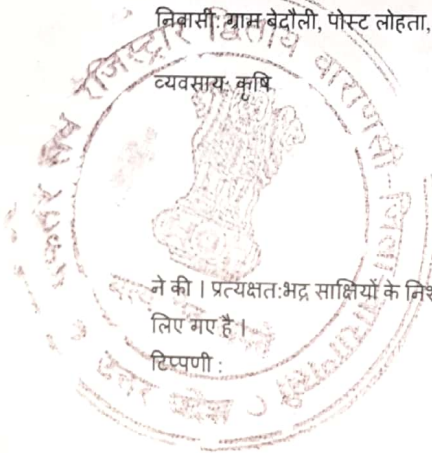
वाराणसी

25/08/2022

कमलेश कुमार श्रीवास्तव

निबंधक लिपिक वाराणसी

25/08/2022



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार  
लिए गए हैं।

टिप्पणी:

प्रिंट करें

न्याय पत्र के द्वारा किसी स्थावत सम्पत्ति का अन्तरण नहीं हो रहा है।

ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही-

2. ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।
1. ट्रस्ट (न्यास) संस्था का किसी भी कारण से विघटन होता है तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्वामित्व संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा।
- 2ए- हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्राविधिक तकनीकी, चिकित्सा, व्यवसायिक, औद्योगिक संस्थानों/केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।
- 2बी- संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।
- 2सी- केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।
- 2डी- आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

उपरोक्त ट्रस्ट के नियमावली को बदुस्ती होश व हवास बिना किसी दबाव के अपने स्वस्थ मस्तिष्क से यह दस्तावेज ट्रस्ट डीड (न्यास पत्र) लिख कर निबंधित करा दिया कि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

Yogendra Pratap Singh



आवेदन सं०: 202200996035297

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 314 के पृष्ठ 397 से 424 तक क्रमांक  
353 पर दिनांक 25/08/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कमलेश कुमार श्रीवास्तव प्रभारी  
उप निबंधक : सदर द्वितीय

वाराणसी  
25/08/2022